राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
विशेष बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2021 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1 वित्तीय समावेशन	(i) सामाजिक सुरक्षा योजना (क) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (ख) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (ग) अटल पेंशन योजना (ii) आधार सीडिंग (iii) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (iv) लीड बैंक स्कीम – एस.एल.बी.सी. के आँकड़ों का संप्रेषण एवं प्रबंधन में सुधार (Revamp of Lead Bank Scheme – SLBC Data Flow and its Management)
एजेण्डा संख्या – 2	प्रधानमंत्री फेरी व्यवसायियों हेतु आत्मनिर्भर निधि योजना।
एजेण्डा संख्या – 3	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – प्रगति रिपोर्ट
एजेण्डा संख्या – 4	सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं – प्रगति रिपोर्ट
एजेण्डा संख्या – 5 नीतिगत विषय	जनपद अल्मोड़ा का शत प्रतिशत डिजीटाइजेशन किया जाना।
एजेण्डा संख्या – 6	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की लम्बित राशि की प्रतिपूर्ति
एजेण्डा संख्या – 7	(क) योजनावार एन.पी.ए. की समीक्षा (ख) लम्बित वसूली प्रमाणपत्र (आर.सी.) (ग) लम्बित भौतिक अधिग्रहण आवेदन पत्र (ख) किसानों का भुगतान उनके के.सी.सी. खातों में न होना
एजेण्डा संख्या – 8 कृषि अनुषंगी गतिविधियों में ऋण वितरण प्रगति	(क) दुग्ध संघों एंव दुग्ध उत्पादक कम्पनियों से संबंधित डेयरी फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान (ख) मत्स्य पालन – किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंव मौसम आधारित फसल बीमा योजना (घ) किसानो की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना
एजेण्डा संख्या – 9	(क) ईमररजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (GECL – 1 / GECL – 2) (ख) Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD)
एजेण्डा संख्या – 10 बैंकों द्वारा ऋण वितरण	(क) वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई
एजेण्डा संख्या – 11 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।	

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
विशेष बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2021

कार्य सूची (एजेण्डा)

दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को आयोजित कार्य बिंदुओं की पुष्टि :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की विशेष बैठक दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्यवाही से राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराया गया है, जिनकी पुष्टि निम्नलिखित स्थायी समितियों की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

चार उप–समितियों की बैठकों के आयोजन का विवरण निम्नवत है :

1. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11 नवम्बर, 2020

2. Deepening of Digital Payments / Financial Inclusion हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2020

3. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18 नवम्बर, 2020

4. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24 नवम्बर, 2020

5. Steering Sub-Committee की बैठक दिनांक 17 दिसम्बर, 2020

दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की विशेष बैठक में अपर मुख्य सचिव (एम.एस.एम.ई. एंव ग्राम्य विकास), उत्तराखण्ड शासन द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को निर्देशित किया गया कि जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के मतानुसार उक्त शाखा को मूल स्थान द्वारगढ़ (गरखेत) में शिफ्ट किया जाय तथा यदि भविष्य में उक्त स्थान में किसी अन्य बैंक की शाखा खोली जाती है तो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को शिफ्ट करने विषयक विचार किया जा सकता है।

उक्त विषयक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके बैंक द्वारा नियुक्त बी.सी. द्वारा ग्राम खैरसी, गरखेत, गाठी, बन्दरकोट में संतोषप्रद बैंकिंग सेवायें प्रदान की जा रही हैं। पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल कार्यालय, टिहरी द्वारा क्षेत्र में किये गये सर्वे के अनुसार द्वारगढ़ (गरखेत) में शाखा खोलना / शिफ्ट करना व्यवहार्य (Viable) नही है।

एजेण्डा संख्या – 1 :

(i) सामाजिक सुरक्षा योजना :

योजना अन्तर्गत बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

Annex. - 1

योजना	आच्छादित खातों की संख्या (As on 30/09/2020)	आच्छादित खातों की संख्या (As on 31/10/2020)	खातों की संख्या में वृद्धि
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	17,88,416	18,47,393	58,977
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	3,96,735	4,03,849	7,114
अटल पेंशन योजना	2,32,551	2,39,970	7,419
कुल पी.एम.जे.डी.वाई खाता संख्या	28,08,252	28,21,032	12,780

बैंक शाखाओं में **1,49,224** खातों में शेष शून्य है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा बैंकों को शून्य शेष खातों में खाताधारकों द्वारा कुछ राशि जमा करने के लिए बताया गया है तथा समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभार्थियों का समय पर नवीनीकरण करें ताकि लाभार्थीयों को योजना का समुचित लाभ मिल सके। पी.एम.जे. जे.बी.वाई. / पी.एम.एस.बी.वाई. डैशबोर्ड वित्तीय वर्ष 01 जून से 31 मई तक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य है।

समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक बीमा योजना अंतर्गत बैंकों को लक्ष्य आवंटित करेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि सभी बीमाधारकों का वार्षिक नवीनीकरण किया जा रहा है तथा सभी नये वयस्क खाताधारकों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना/प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत बीमा किया जा रहा है।

(ii) आधार सीडिंग :

आधार सीडिंग विषयक बैंकों द्वारा निम्न प्रगति दर्ज की गयी है : **Annex. - 2**

		(As on 30/09/2020)	(As on 31/10/2020)
क)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गये कुल खातों की संख्या	28,08,252	28,21,032
ख)	पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में आधार सीडिंग की संख्या	21,58,307	21,76,592
कवरेज प्रतिशत		81.16 %	81.47 %

01 अप्रैल, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक बैकों द्वारा **1,10,471** पी.एम.जे.डी.वाई (PMJDY) के नये खाते खोले गये हैं। राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को निरन्तर निर्देशित किया जाता है कि वे National Strategy for Financial Inclusion (NSFI):2019-2024 के तहत पी.एम.जे.डी.वाई (PMJDY) के खाते खोलते समय ग्राहकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना / प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जानकारी दें एवं नये वयस्क खाताधारकों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जानकारी प्रदान करें तथा ग्राहकों को अपने खाते में आधार लिंकेज व मोबाईल लिंकेज कराये जाने हेतु कहें। बैंक अपने वित्तीय साक्षरता कैम्प में उक्त जानकारियाँ से ग्राहकों को जागरुक करें।

पी.एम.जे.डी.वाई. खाते में आधार लिंकेज होने के बाद ही AEPS (Aadhar Enabled Payment Service), बी.सी. के Micro ATM / POS से भुगतान प्राप्त कर सकता है।

खाते में आधार लिंकेज न होने के कारण खाताधारको को केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रेषित अनुदान का लाभ Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से प्राप्त नही होता है।

(iii) **Business Correspondent and Capacity Building :**

दिनांक 30.11..2020 तक Business Correspondent विषयक प्रगति निम्नवत है : **Annex. – 3**

Total No. of B.C..	Active B.C.	In-Active B.C.	No. of B.C. completed B.C. Certification Course	No. of remaining B.C. for completion of B.C. Certification Course
2531	1962	569	1487	1044

समस्त बैंकों को पुनः निर्देशित किया गया है कि शीघ्र ही अवशेष बी.सी. को ऑनलाईन B.C. Certification कोर्स पूर्ण कराने की व्यवस्था करें।

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को देय मानदेय :

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को बिभिन्न बैंकों द्वारा, उनके द्वारा सम्पन्न किये गये कार्यो हेतु मानदेय प्रति लेनदेन के आधार पर भुगतान किया जाता है, जो कि निम्नवत है :

BANK	S.B Account Opening	Cash Deposit	Cash Withdrawl	Aadhaar seding	FIX
SBI	Rs. 15/- with initial deposit below Rs 100/- and Rs 20/- with initial deposit above Rs 100/-	Transction amount Rs 100/- and above	Transction amount Rs 100/- and above	Rs 5/- per acount	Rural CSP
		1.Up to Rs 10000/- .25% Min Rs 2 Max Rs 8	Up to Rs. 10000/-		Rs 2000/- subject to opening mimimum 50 accounts per month or minimum 100 transctions per month or both.
		2.Rs 10001 to Rs 15000 Rs 10/-	.50% Min. Rs 3/- Max Rs 15/-		
		3. Rs 15001 to Rs 20000 Rs 12/-			
PNB	Rs 20/- in two stages	0.40% of the total amount of cash handled	0.40% of the total amount of cash handled	Rs 5/- per acount	Rs 3500/- for only mandatory BCAs who
	1. Rs 10/ at the tome of opening of acount	subject to a Max. Rs 50/- per acount per day	subject to a Max. Rs 50/- per acount per day		are doing login for minimum 20 days in a
	2. Rs 10/- after minimum balance of Rs 100/-				month and variable remuneration per
					month Rs 10000/- or less.
UGB	Rs 20/- for funded account and Rs 10 /- for non	0.50% of transction amount. Min Rs 1/-	0.50% of transction amount. Min Rs 1/-	Rs 5/- per acount	N.A
	funded account.	Max. Rs 12/-	Max. Rs 12/-		
PSB	Not Mentioned	0.40% of transction amount. Min Rs 1/- Max	0.40% of transction amount. Min Rs 1/- Max	Not Mentioned	Rs 5000/- to those BC who login at least 20 days in a month with at least 200
		Rs 25/-.	Rs 25/-.		transction
CBI	Rs 20/- per account	.22 % of transction amount	.22 % of transction amount	Not mentioned	Rs 4000/- subject to minimum login of 24
					days and unique customers attended.

- बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को बिभिन्न बैंकों द्वारा, उनके द्वारा सम्पन्न किये गये कार्यो हेतु देय मानदेय की दर भिन्न–भिन्न है।
- बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का मानदेय ग्राहक द्वारा किये गये लेनदेन की संख्या पर निर्भर करता है।
- बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को बचत खाता/आवर्ती जमा खाता/सावधि जमा रशीद खोलने पर, जमा, आहरण, राशि प्रेषण करने पर, आधार सीडिंग इत्यादि करने पर मानदेय दिया जाता है।

(iv) **Revamp of Lead Bank Scheme – SLBC Data Flow and its management :**

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या FIDD.CO.LBS.No.558/02.01.001/2019-20 दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में एस.एल.बी.सी. के डाटा प्रवाह एवं प्रबंधन प्रणाली (Developing a Standardized System for Data Flow and its management) में एकरुपता लाने के उद्देश्य से सभी बैंकों द्वारा Standardized System तैयार किया जाना है, जिससे कि एस.एल.बी.सी. को बैंकों का डाटा ऑनलाईन उपलब्ध हो सके।

इसी अनुक्रम में अवगत कराना है कि अब तक 28 बैंकों द्वारा पुष्टि प्रेषित की गयी है, कि उनके द्वारा Standardized System (Block wise mapping) तैयार कर लिया गया है तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की अनुवर्ती कार्यवाही के बावजूद भी निम्नवत अवशेष 04 बैंकों द्वारा Standardized System (Block wise mapping) का कार्य पूर्ण नही किया गया है। अवशेष 04 बैंकों को दूरभाष एवं ई–मेल के माध्यम से समय–समय पर उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु अवगत कराया गया है :

1. **कोटक महेन्द्रा बैंक**
2. **बन्धन बैंक**
3. **एक्सेस बैंक**
4. **राज्य सहकारी बैंक**

राज्य सहकारी बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी प्राथमिक सहकारी समितियां कम्प्यूटरीकृत न होने के कारण उनके बैंक द्वारा Standardized System तैयार नही हो पा रहा है।

एजेण्डा संख्या – 2 :

प्रधानमंत्री फेरी व्यवसायियों हेतु आत्मनिर्भर निधि योजना :

आत्मनिर्भर निधि योजनान्तर्गत प्रगति निम्नवत है :

Progress as on 30/09/2020

No. of Applications uploaded in portal	Market Place Applications	No. of Applications Picked by Banks	No. of Applications Sanctioned	No. of Applications Disbursed	% Achievement Disbursed VS Total Application
3739	756	1799	1184	330	8.8

Progress as on 30/11/2020 **Annex. - 4**

No. of Applications uploaded in portal	Market Place Applications	No. of Applications Picked by Banks	No. of Applications Sanctioned	No. of Applications Disbursed	% Achievement Disbursed VS Total Application
12223	2559	3950	5714	4421	36.17

- वैन्डर द्वारा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए पी.एम. स्वनिधि पोर्टल में वितरण (Disbursement) अपलोड करने हेतु वैन्डर का UPI (Unified Payment Interface) ID आव''यक है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा बैंकों को अवगत कराया गया है कि वैन्डर्स के लिए UPI (Unified Payment Interface) ID अपने backend से generate कराने की व्यवस्था करें या फिर Payment aggregators का सहयोग लिया जाय। योजना अन्तर्गत Local Bodies द्वारा आयोजित कैम्प में समस्त बैंक भागीदारी करें।

- पी.एम. स्वनिधि योजना सम्बन्धित समस्या के निवारण के लिए सिडबी को **pmsvanidhi.support@sidbi.in** पर ई–मेल करें तथा निम्नाकित व्यक्तियों से सम्पर्क करें :

1. श्री प्रियांसु मिश्रा, सहायक महाप्रबन्धक, कॉन्टेक्ट नम्बर – 011–23448465, 8289076509

2. श्री राजेश कुमार, उप महाप्रबन्धक, कॉन्टेक्ट नम्बर – 7800590795

- वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि देहरादून, हरिद्वार एवं रुड़की शहरों को पी.एम. स्वनिधि योजना के अन्तर्गत Saturation के लिए चयनित किया गया है।

एजेण्डा संख्या – 3 :

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) :

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्रगति निम्नवत है :

Progress as on 30/09/2020

Applications Sent to Banks	Under process by Bank	Reverted by Bank	Rejected by Bank	Loan Sanctioned by Bank	Loan Disbursed by Bank	Pending
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
3694	478	270	698	1250	121	998

Progress as on 05/12/2020 **Annex. - 5**

Applications Sent to Banks	Under process by Bank	Reverted by Bank	Rejected by Bank	Loan Sanctioned by Bank	Loan Disbursed by Bank	Pending
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
6540	630	599	1509	1918	874	3144

समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों का तुरन्त निस्तारण करें तथा ऋण वितरण में आने वाली समस्याओं का निराकरण हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से सम्पर्क करें।

योजना अंतर्गत प्रथम किस्त निर्गत करने के उपरांत पोर्टल में मार्जिन मनी सब्सिडी lodge करें तथा आवेदक को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ईडीपी प्रशिक्षण एवं विभिन्न संस्थाओं से ऑफलाईन ईडीपी प्रशिक्षण लेने हेतु अवगत करायें।

एजेण्डा संख्या – 4 :

सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं :

(i) राष्ट्रीय षहरी आजीविका मिषन व्यक्तिगत (NULM Individual) :

योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

Progress as on 30/09/2020

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
772	1344	331	331	151	862

Progress as on 30/11/2020 **Annex. - 6**

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
772	1458	373	333	206	879

समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे उनकी शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण NULM पोर्टल में अपलोड करें।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन (NRLM) :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर "नेशनल रुरल लाइवलीहुड मिशन" योजना के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का विवरण निम्नवत है :

(` लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	ऋण राषि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
					< 1 M	**> 1 M**
9740	11058	2701	4916.07	2896	330	5132

वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर बैंकों द्वारा वार्षिक लक्ष्य **9740** के सापेक्ष **2701** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का **28%** है।

Progress as on 30/11/2020 **Annex. - 7**

(` लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	ऋण राषि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
					< 1 M	**> 1 M**
9740	12220	4222	7718.00	3986	506	3506

दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक बैंकों द्वारा वार्षिक लक्ष्य **9740** के सापेक्ष **4222** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का **43%** है।

समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे उनकी शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण NRLM पोर्टल में अपलोड करें।

(iii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP) :

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
					<1M	>1M
1326	4087	1025	679	1981	587	494

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP) के अंतर्गत अनुदान वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य ` **39.77 करोड़** के सापेक्ष ` **12.09 करोड़ (30.37%)** की प्रगति दर्ज की गयी है।

Progress as on 30/11/2020 **Annex. - 8**

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
				<1M	>1M
1326	5446	1650	2684	491	621

दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक बैंकों द्वारा **1650** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं। योजना अन्तर्गत अनुदान वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य ` **39.77 करोड़** के सापेक्ष ` **17.16 करोड़ (43.15%)** की प्रगति दर्ज की गयी है।

उक्त योजनान्तर्गत अवगत कराना है कि पीएमईजीपी निदेशालय द्वारा कोविड–19 के मध्यनजर ईडीपी प्रशिक्षण में दिनांक 30/09/2020 तक छूट प्रदान की गयी थी तथा ईडीपी प्रशिक्षण ऑनलाईन करने का प्रावधान किया गया है। पीएमईजी निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई द्वारा सर्कुलर संख्या PMEGP/BFL/CIR Guidelines/2020-21 दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 द्वारा संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जिसे सभी बैंक नियन्त्रकों को प्रेषित कर दिया गया है। वर्तमान में ईडीपी की ऑनलाईन प्रशिक्षण के साथ–साथ अब वर्तमान निर्देशानुसार KVIC, KVIB, DIC, MSME, IDEMI, RSETI/RUDSETI, MSMEDI, NSIC के विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा ऑफलाईन प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सभी बैंक लम्बित ईडीपी प्रशिक्षण के लाभार्थियों को अविलम्ब जनपद स्तरीय आरसेटी/एमडीटीसी केवीआईसी/डीआईसी प्रशिक्षण केन्द्रो से ईडीपी प्रशिक्षण ऑन लाइन या ऑफ लाइन लेने हेतु अवगत करायें। समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे उनकी शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण पोर्टल में अपलोड करें।

(iv) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना :

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विभाग द्वारा बैंकों को प्रेषित **161** ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष बैंकों द्वारा **42** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए है, जिसका मदवार विवरण निम्नवत है : **Annex. - 9**

(` लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
					<1M	>1M
वाहन – 147	102	27	26	24	39	12
गैर–वाहन – 153	59	15	15	06	19	19
कुल योग – 300	**161**	**42**	**41**	**30**	**58**	**31**

30.11.2020 तक की प्रगति :

(` लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
वाहन – 147	207	88	66	40	79
गैर–वाहन – 153	100	32	25	16	52
कुल योग – 300	**307**	**120**	**91**	**56**	**131**

योजनांतर्गत वार्षिक लक्ष्य 300 के सापेक्ष बैंकों द्वारा 120 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत कर 40 प्रतिशत की प्रगति दर्ज की गयी है।

विभाग से आग्रह किया गया है कि वे वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अधिक संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा बैंक नियन्त्रको को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु समय–समय पर निर्देशित किया गया है।

योजना की प्रगति की निगरानी एवं बैंक नियंत्रकों के स्तर पर अनुवर्ती कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा पोर्टल बनाया जाना प्रतीक्षित है।

(v) दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना :

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर बैंकों को प्रेषित **197** ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष बैंकों द्वारा **61** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए है, जिसका विवरण निम्नवत है :

Annex. - 10

(` लाखों में)

प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राषि	निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
					<1M	>1M
197	61	45	525.00	89	16	31

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा बैंक नियन्त्रको को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु समय–समय पर अवगत कराया गया है तथा पर्यटन विभाग को बैंकों द्वारा निस्तारित ऋण आवेदन पत्रों की स्थिति से अवगत कराया जा रहा है, जिससे कि वे अपने आंकड़ों का मिलान कर सके।

बैंकों द्वारा अवगत कराया गया है कि ऋण आवेदन पत्रों के निरस्तीकरण का प्रमुख कारण भू उपयोग परिवर्तन (सेक्शन 143) तथा प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने में बिलम्ब होना है। बैंकों द्वारा सुझाव दिया गया है कि सम्बन्धित विभाग भू उपयोग परिवर्तन (सेक्शन 143) एवं मानचित्र स्वीकृत की कार्यवाही समय से करें, ताकि समय सीमा अवधि में ऋण सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

योजना की प्रगति की निगरानी एवं बैंक नियंत्रकों के स्तर पर अनुवर्ती कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा पोर्टल बनाया जाना प्रतीक्षित है।

(vi) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय त्रैमास में बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

षाखाओं द्वारा स्वयं source कर स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	विभाग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र				सकल स्वीकृति
	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
संख्या	संख्या	संख्य	संख्या	संख्या	संख्या
596	156	32	95	29	628

(` लाखों में)

नोडल एजेन्सी	स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	वितरित ऋण राषि	वितरित अनुदान राषि
एन.एच.बी.	1143	---	2198.09
हुडको	308	3576.31	680.61
कुल	1451	3576.31	2879.70

प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति तक बैंकों एवं कार्यरत हाउसिंग फाइनेसिंग कंपनियों द्वारा कुल **2079** लाभार्थियों को भवन निर्माण / भवन क्रय करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।

Progreess as on 30.11.2020 **Annex. - 11**

षाखाओं द्वारा स्वयं source कर स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	विभाग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र				सकल स्वीकृति
	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
संख्या	संख्या	संख्य	संख्या	संख्या	संख्या
755	167	41	106	26	796

(vii) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : **Annex. - 12**

योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

(` लाखों में)

योजना	ऋण राषि सीमा	सितम्बर, 2019		सितम्बर, 2020	
		संख्या	स्वीकृत ऋण राषि	संख्या	स्वीकृत ऋण राषि
शिशु	` 50000 तक के ऋण	56799	15137.00	28593	7794.00
किशोर	` 50000 से ` 5.00 लाख	19108	42206.00	18129	37366.00
तरुण	` 5.00 लाख से ` 10.00 लाख	4922	40828.00	3645	29500.00
कुल संख्या एवं ऋण राशि		**80829**	**98171.00**	**50367**	**74660.00**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत **50367** लाभार्थियों को **` 74660.00 लाख** के ऋण स्वीकृत किए गए हैं तथा अनुमानतः **75786** व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। बैंक एम.एस.एम.ई. के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र (Allied Activity) में रु. 10 लाख तक के ऋण स्वीकृत करें, जिससे मुद्रा ऋण के लक्ष्यों व वार्षिक ऋण योजना अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त हो सकें। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में रु 10 लाख तक के ऋण मुद्रा योजना में वर्गीकृत किए जाते हैं।

(viii) स्पेषल कम्पोनेंट प्लान :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर सभी बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है

(` लाखों में)

योजना	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित/प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राषि	निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
अनुसूचित जाति	732	740	365	330	239.68	40	335
अनुसूचित जनजाति	100	09	06	03	1.20	--	03
अल्पसंख्यक समुदाय	177	37	08	06	23.00	--	29
कुल योग	1009	786	379	339	263.88	40	367

Annex. - 13

Progreess as on 30.11.2020 (` लाखों में)

योजना	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित/प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राषि	निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
अनुसूचित जाति	732	1032	534	481	318.82	108	390
अनुसूचित जनजाति	100	41	20	15	6.00	01	20
अल्पसंख्यक समुदाय	177	101	15	12	59.00	--	86
कुल योग	1009	1174	569	508	383.82	109	496

समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे उनकी शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण पोर्टल में अपलोड करें। विभाग से अनुरोध किया गया है कि वे वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अधिक संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें, जिससे वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। विभाग द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को प्रेषित डाटा एवं पोर्टल के डाटा में भिन्नता है। अतः विभाग से आग्रह है कि वे इस भिन्नता को दूर करें।

एजेण्डा संख्या – 5 :

अल्मोड़ा जिले को 100 प्रतिशत डिजीटाइजेशन किया जाना :

दिनांक 09 नवम्बर, 2020 को क्षेत्रीय निदेशक श्री राजेश कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक कार्यालय में जनपद अल्मोड़ा को शत प्रतिशत डिजीटाईजेशन करने के संदर्भ में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में सुश्री तारिका सिंह, उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड, नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक अल्मोड़ा एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक, अल्मोड़ा द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया गया :

- नोडल अधिकारी को जनपद अल्मोड़ा को शत प्रतिशत डिजीटाईजेशन करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना पर कार्य करने को कहा गया तथा Merchants/Traders/Public Utilities का Field Level Survey कर डाटा तैयार करें एवं जिले में कार्यरत बैंकों को तदनुसार डिजीटाईजेशन हेतु लक्ष्य आबंटित किये जांय।
- नोडल अधिकारी एसे व्यक्तियों की संख्या, कारण सहित बतायें, जो डिजीटल उत्पाद लेने के इच्छुक नही हैं अथवा अशिक्षित/अवयस्क/बृद्व होने के कारण डिजीटल उत्पाद नही लेना चाहते हैं।

उत्तराखण्ड राज्य में अल्मोड़ा जिले को 100 प्रतिशत डिजीटाइजेशन करने हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को राज्य स्तरीय समिति की बैठक उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून में आयोजित की गयी।

31 जनवरी, 2021 तक डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया जाना है, जिसके लिए बैठक में निम्नवत निर्देशित किया गया :

- राज्य सहकारी बैंक 26 जनवरी, 2021 तक चालू खाताधारकों को क्यू. आर. कोड आवंटित करने की व्यवस्था करेंगे।

- उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक यह सुनिश्चित करे कि अल्मोड़ा जिले की उनकी समस्त शाखाओं में ग्राहकों को रुपे कार्ड दिए जाएं जिससे माइक्रो ए.टी.एम. से लेनदेन हो सके।

- जिला अधिकारी, अल्मोड़ा के सहयोग से नोडल अधिकारी एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक, अल्मोड़ा यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सरकारी विभागों को इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जाए, जिससे विभाग पूर्ण रुप से डिजिटाइजेशन मोड में कार्य करें।

- सभी बैंक अपने बचत खाताधारकों को रुपे कार्ड देने की व्यवस्था करेंगे और वित्तीय साक्षरता कैम्प में ग्राहकों को रुपे कार्ड संबंधित जानकारियां प्रदान करेंगे।

- नोडल अधिकारी अल्मोड़ा जिले के ग्रे एरिया की सूची राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे।

- नोडल अधिकारी अल्मोड़ा जिले में मर्चेन्टस एवं शॉप–कीपर्स का सर्वे कर उन्हे पॉस / क्यू.आर. कोड सुविधा प्रदत्त करें, जिससे डिजीटीलाइजेशन को प्रोत्साहन मिले।

जिला अल्मोड़ा की डिजीटाईजेशन सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया है कि राज्य सहकारी बैंक एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक में On Line Banking सुविधा नही है, जिस कारण डिजीटाईजेशन के प्रतिशत में अपेक्षित बृद्वि नही हो पा रही है।

100 प्रतिशत डिजीटाइजेशन के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले में बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

Annex. - 14

		30/09/20	**31/10/20**	**30/11/20**
Digital coverage for individuals (SB A/c for bank customers)	Total No. of operative SB A/c	6,88,653	6,91,097	6,97,543
	No. of Debit /Credit/Rupay Card issued to operative Saving bank A/C	4,21,489	4,24,870	4,45,753
	No. of Netbanking issued	1,45,213	1,47,631	1,54,767
	No. of Mobile Banking+UPI+USSD	1,47,066	1,50,626	1,55,898
	Total No. of operative SB A/c covered with atleast one of the facilities Debit/Credit/Netbanking/ Mobile banking/UPI/USSD	4,36,581	4,45,798	4,69,983
	Achievement	**63%**	**65%**	**67%**
Digital Coverage for Business (Current A/c for bank customer)	Total No. of operative Current A/c	13,252	13,338	8,640
	No. of Netbanking to Current A/c	1,755	1,873	2,299
	No. of POS/QR availed by Current A/c	2,676	2,677	2,885
	Achievement	**20%**	**20%**	**33%**
	Total No. of operative current A/c covered with atleast one of digital modes of banking – Net Banking, POS, QR.	3,240	3,553	3,743
	Achievement	**24%**	**27%**	**43%**
Provision of Digital Infrastructure for non customer	POS/QR issued to shopkeeper (other than current account holder)	99	99	112
	POS/QR issued to Government / Public Service Providers	23	23	23
	POS/QR issued to others	10	10	10
Total	Total POS/QR (other than current account holder)	132	132	145
Digital Financial	No. of FLC camps on Digital	72	77	149

Literacy				

एजेण्डा संख्या – 6

ग्रामीण स्वरोजगार प्रषिक्षण संस्थान (आरसेटी) :

राज्य में कार्यरत 13 आरसेटी संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण पर सितम्बर, 2020 तक व्यय की गयी राशि ` **54.45 लाख** का विवरण निम्नवत है :

वित्तीय वर्ष	लम्बित राशि (Rs. In lacs)
Prior to and inclusive of 2017-18	0.20
2018-19	5.11
2019-20	49.14
कुल	**54.45**

- ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन से अनुरोध है कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) द्वारा प्रशिक्षण पर किये गये व्यय की लम्बित राशि की प्रतिपूर्ति कराने की कृपा करें।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय त्रैमास तक आरसेटी संस्थानों द्वारा **60** प्रशिक्षण कार्यक्रम किये गये, जिसमें **1570** प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त **1398** प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्राप्त हो गया है, जिसमें से **992** प्रशिक्षणार्थियों ने बैंकों से ऋण प्राप्त कर व्यवसाय प्रारम्भ किया है तथा शेष **395** प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया गया है।
- कोविड–19 के कारण प्रथम तिमाही में आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान नही किया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सभी आरसेटी को निर्देशित किया गया है कि वे क्रेडिट लिंकेज लाभार्थियों की संख्या बढ़ायें।

एजेण्डा संख्या – 7 :

(क) योजनावार एन.पी.ए. :

Annex. - 15

(Amt. in Crores)

NPA POSITION OF GOVT. SPONSORED SCHEME as on 30th SEPTEMBER, 2020						
S. No.	NAME OF SCHEME	Total Outstanding		Gross NPA		Gross NPA%
		No.	Amount	No.	Amount	
1	**PMEGP**	6546	236.39	1027	18.59	**7.87**
2	**SCP**	8708	133.93	2144	13.41	**10.01**
3	**VCSGSY**	2553	175.25	342	22.25	**12.70**
4	**NULM**	2821	46.31	301	2.56	**5.54**
5	**SJSRY (Swarn Jayanti Sahari Rojgar Yojna)**	1362	5.60	562	2.89	**51.65**
6	**NRLM**	10382	47.75	798	4.21	**8.83**
7	**SGSY (Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojna)**	1498	11.45	865	5.70	**49.75**
8	**DRI**	5525	8.32	1292	2.26	**27.26**
	Mudra - Shishu	56949	140.61	7602	23.45	**16.68**
	Mudra - Kishore	261969	1830.94	10331	147.20	**8.04**
	Mudra - Tarun	19593	1034.62	1156	65.73	**6.35**
9	**Mudra**	338511	3006.18	19089	236.39	**7.86**
10	**DEDS – NABARD (Dairy Entrepreneurship Development Scheme)**	10212	112.52	2812	33.64	**29.90**
11	**Stand Up India**	2067	311.11	184	17.35	**5.58**
12	**MSME**	322718	16001.63	60905	1402.60	**8.77**

13	**Agriculture**	852758	10920.67	84541	1374.74	**12.59**

- बैंकों में एन.पी.ए. की स्थिति चिन्ताजनक है, अतः बैंक स्थानीय स्तर पर प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुये बैंक के एन.पी.ए. कम करने का प्रयास करें। बैंक तहसील से आर.सी. का मिलान करें तथा ज्यादा वसूली करने के लिए अमीनों से सहयोग प्राप्त करें।
- एन.पी.ए. खातों की तहसील में आर.सी. फाईल करें और अनुवर्ती कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- बकायादारों से वसूली के लिए एक मुश्त समाधान (OTS) योजना / बैंक अदालत / लोक अदालत का उपयोग भी किया जाय तथा इसकी जानकारी बकायादारों को दी जाय, जिससे एन.पी.ए. को कम किया जा सके। वित्तीय साक्षरता कैम्प में ग्राहकों को अपना ऋण तय समय सीमा में चुकाने के लिए जागरुक किया जाय, जिससे उनका सिबिल स्कोर ठीक रहे।
- एन.पी.ए. खातों में यदि सम्पार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) उपलब्ध है, तो बैंक ऋण वसूली की प्रक्रिया हेतु 13 (2) और 13 (4) के तहत कार्यवाही करें।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित Empowered Committee Meeting on MSME की बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 में बढते हुये एन.पी.ए. पर असंतोष एवं चिंता व्यक्त की गयी ।

(ख) <u>लम्बित वसूली प्रमाण पत्र (आर.सी.)</u> : **Annex. - 16**

(Amt. in lacs)

RCs Pending						**Total RCs Pending**		**Recovery against RC 01.04.20 to 30.09.20**		**Recovery %**
Less than 1 Year		**1 Year to 5 Years**		**More than 5 Years**						
No.	**Amt.**	**No.**	**Amt.**	**No.**	**Amt.**	**No.**	**Amt.**	**No.**	**Amt.**	
16473	22885.34	22830	31858.42	4863	6098.14	44166	60842.00	3274	3696.12	6.07

शासन से अनुरोध है कि वे राजस्व विभाग को निर्देशित करें कि वे लम्बित रिकवरी सर्टिफिकेट (आर.सी.) अन्तर्गत वसूली में बैंकों का सहयोग करें। समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक राजस्व विभाग से समन्वय कर लम्बित रिकवरी सर्टिफिकेट (आर.सी.) अन्तर्गत वसूली में बैंको का सहयोग करें।

Annex. - 17

(ग) बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके बैंक द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण हेतु आवेदन पत्र (application for physical possession of property) जिला अधिकारियों के पास 60 दिन से अधिक अवधि से लम्बित हैं, जिस कारण एन.पी.ए. की वसूली में अधिक समय लगता है, इन खातों की सूची संलग्न है। सूची में संलग्न खातों की वर्तमान स्थिति का विवरण बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रतीक्षित है।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि किसानो को गन्ना फसल के लिए के.सी.सी. ऋण दिया जाता है तथा सहकारी गन्ना विकास समिति गन्ने की फसल का भुगतान के.सी.सी. ऋण खाते में न करके, किसानों द्वारा दूसरे बैंक में खोले गये खातों में जमा करती है। के.सी.सी. खातो में भुगतान ना आने के कारण के.सी.सी. खाते एन.पी.ए. हो रहे है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा असिस्टेंट केन कमीश्नर, हरिद्वार के संज्ञान में यह मामला लाया गया कि बिना बैंक की एन.ओ.सी. के किसानो के गन्ने का भुगतान दूसरे बैंक के खाते में न किया जाए। हरिद्वार जिले में भारतीय स्टेट बैंक के 2443 के.सी.सी. खातो में 38.88 करोड़ की राशि एन.पी.ए. है।

अतः शासन से अनुरोध है कि सहकारी गन्ना विकास समिति, लिबरहेडी, मंगलौर, हरिद्वार को निर्देशित किया जाय कि उनके द्वारा गन्ने का भुगतान किसानो के के.सी.सी. खाते में ही किया जाय तथा बिना बैंक की सहमती/एन.ओ.सी. के किसानो के खाते दूसरे बैंक में स्थानान्तरित ना किये जाय।

एजेण्डा संख्या – 8 :

(क) दुग्ध संघों एंव दुग्ध उत्पादक कम्पनियों से संबंधित डेयरी फार्मर्स (Dairy Farmers) को किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता (KCC Saturation) अभियान :

मत्स्य, पशुपालन एंव डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दुग्ध संघों एंव दुग्ध उत्पादक कम्पनियों से लिंक डेयरी फार्मर्स (Dairy Farmers) को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 01 जून, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया था, जिसे दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति का विवरण निम्नवत है :

Progress as on 30/11/2020 **Annex. - 18**

(Amt. in lacs)

Applications submitted to Banks	Sanctioned		Disbursed		Returned	Pending
No.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	No.
40179	14206	8814.51	7862	5404.73	7175	18798

समस्त बैंक नियन्त्रकों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया है कि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजना अन्तर्गत योग्य किसानो को डेयरी किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करें एवं शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण हेतु शाखाओं को निर्देशित करें।

उक्त योजना अन्तर्गत बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्र पोर्टल में दर्ज नही किये जा रहे हैं, जिससे आवेदन पत्रों का मिलान नही हो पा रहा है। अतः विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का मिलान करें तथा बैंक शाखाओं को प्रेषित समस्त ऋण आवेदन पत्रों को पोर्टल में दर्ज करें।

(ख) मत्स्य पालन – किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान :

भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मत्स्य पालकों को प्रदान करने हेतु रु. 2.00 लाख तक की कार्यशील पूंजी का प्रावधान किया गया है, जिससे मत्स्य पालक मछली के बीज, जाल एवं अन्य सामाग्री क्रय कर सके। लाभार्थी की स्वयं की अथवा लीज की भूमि (जिसमें तालाब हो) होनी चाहिए।

विभाग द्वारा उक्त योजना अन्तर्गत जिलेवार प्रगति विवरण निम्नवत है :

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
1	अल्मोड़ा	48	17	31
2	हरिद्वार	111	45	66
3	उत्तरकाशी	95	25	70
4	चम्पावत	27	12	15
5	देहरादून	76	33	43
6	उद्यम सिंह नगर	49	20	29
7	टिहरी गढ़वाल	60	33	27
8	पौड़ी गढ़वाल	52	42	10
9	बागेश्वर	74	74	0
10	पिथोरागढ़	119	60	59
11	नैनीताल	190	132	58
12	चमोली	38	12	26

13	रुद्रप्रयाग	46	36	10
कुल योग		**985**	**541**	**444**

समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा अवगत कराया गया है कि बैंक शाखाओं को 715 ऋण आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 को आयोजित वी.सी. में विभाग और बैकों को ऋण आवेदन पत्रों के मिलान करने हेतु निर्देशित किया गया है। वित्तीय सेवायें विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के.सी.सी. मत्स्य पालन का पोर्टल प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल में ही खोला गया है, परन्तु शाखाओं को प्रेषित आवेदन पत्र पोर्टल में दर्ज नही किये जा रहे हैं, जिससे आवेदन पत्रों का मिलान नही हो पा रहा है। अतः विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का मिलान करें तथा बैंक शाखाओं को प्रेषित समस्त ऋण आवेदन पत्रों को पोर्टल में दर्ज करें।

(ग) <u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एंव मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)</u> :

राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एंव पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) – खरीफ 2020 एंव रबी 2020–21 से तीन वर्ष हेतु लागू किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी गयी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अन्तर्गत फसल खरीफ मौसम में धान तथा मण्डुआ एवं रबी मौसम में गेंहू तथा मसूर बीमा के लिए शामिल है।

- पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के अन्तर्गत फसल खरीफ मौसम में आलू, अदरक, टमाटर, मिर्च एवं फ्रेंचबीन का बीमा किया जाता है।
- रबी मौसम में सेब आम, लीची, आलू, माल्टा, संतरा, आडू, मटर एवं टमाटर की फसलों को बीमा किया जाता है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड शासन स्तर पर राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश के पश्चात योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रदेश की फसल बीमा की प्रगति निम्नानुसार है :

(` लाख़ में)

Scheme	Season	Farmers Insured	Sum Insured	Farmers Premium
PMFBY	Kharif 2020	33654	10428.71	208.57
Re-WBCIS	Kharif 2020	51426	24942.13	1247.11
Total		**85080**	**35370.84**	**1455.68**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) रबी 2020–21 के अन्तर्गत किसानो का बीमा करने की प्रक्रिया प्रगतिशील है, जिसकी अन्तिम तिथि 15 दिसम्बर, 2020 एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) रबी 2020–21 में बीमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2020 है। समस्त बैंकों से अनुरोध है कि समयानुसार फसल बीमा योजनाओं में बीमा करना सुनिश्चित करें एवं पोर्टल पर अपलोड करें।

भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बीमित कृषकों की सूचना पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है तथा पोर्टल में अपलोड कृषकों के विवरण को ही सम्बन्धित मौसम में बीमित माना जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कृषकों को वितरित क्लेम का विवरण निम्नवत है :

(Amt. in lacs)

Scheme	Farmers Covered	Farmers Premium	Claims Paid	Benefitted Farmers	% of Benefitted Farmers
PMFBY Rabi 2019-20	52701	354.52	606.32	9122	17.30%

RWBCIS Rabi 2019-20	21703	849.44	4701.59	20516	94.53%
Total	74404	1203.96	5307.91	29638	----

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि PMFBY Rabi 2019-20 में 52701 कृषकों को बीमित किया गया है, जिसमें से 9122 (17.30%) कृषक लाभान्वित हुये हैं तथा RWBCIS Rabi 2019-20 में 21703 कृषकों को बीमित किया गया है, जिसमें से 20516 (17.30%) कृषक लाभान्वित हुये हैं। अतः एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स क0 से आग्रह है कि वे सम्बन्धित विभाग के साथ मिलकर फसल बीमा योजना के प्रति कृषकों को जागरुक करें। भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस क0 द्वारा RWBCIS Rabi 2020-21 अन्तर्गत किसानों में जागरुकता पैदा करने के लिए प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में 10 दिसम्बर, 2020 तक 57 कैम्पस का आयोजन किया गया है।

(घ) किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना :

किसानों की आय दोगुना करने हेतु समिति का गठन :

वित्त अनुभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा पत्र संख्या 888/01(130)/XXVII(1)/2019 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना किए जाने हेतु संबंधित विभागों के मध्य अपेक्षित समन्वय स्थापित किए जाने विषयक समिति गठित की गयी है।

समिति के क्रियाकलापों के संपादन हेतु नोडल विभाग कृषि विभाग होगा, जिसके द्वारा समिति की बैठकों के आयोजन, एजेण्डा एवं कार्यवाही के संबंध में समस्त वांछित कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक 24 फरवरी, 2020 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास महोदया द्वारा कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि निदेशक, कृषि की अध्यक्षता में किसानो की आय दोगुना करने विषयक बैठक का आयोजन किया जाय।

भारत सरकार के वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों के अंतर्गत डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी एवं भेड़ पालन, मत्स्य पालन आदि में वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर बैंकों द्वारा निम्नवत ऋण वितरित किए गए हैं :

(` करोड़ में)

क्र. सं.	मद	कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण खातों की संख्या	कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण राषि
1.	डेयरी (मियादी ऋण)	2181	37.03
2	डेयरी (के.सी.सी.)	14206	88.15
2.	मुर्गी पालन	540	17.14
3.	भेड़/बकरी/सुअर पालन	503	10.87
4.	प्लांटेशन एवं बागवानी	423	16.85
5.	मत्स्य पालन	243	6.96
6.	फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग	531	242.07
7.	स्टोरेज गोदाम	369	20.83
8.	जल संसाधन	460	17.05
9.	भूमि विकास	440	16.33
10	कृषि यंत्रिकरण	873	23.02
11	अन्य (कृषि संबंधी क्रियाकलाप)	27504	695.37
	कुल योग	**48273**	**1191.67**

- **योजना की प्रगति की निगरानी एवं बैंक नियंत्रकों के स्तर पर अनुवर्ती कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा पोर्टल बनाया जाना प्रतीक्षित है।**

- योजना की प्रगति से विभाग Forward Linkage एवं Backward Linkage की दिशा में किये गये कार्यो से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत करायें, जिससे बैंक इन योजनाओं की व्यवहार्यता का मूल्यांकन ठीक से कर सके।

एजेण्डा संख्या – 9 :

(क) ईमरजेन्सी क्रेडिट लाईन गारंटी योजना

GECL - 1

- सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार GECL फन्डिंग के अंतर्गत अदत्त ऋण राशि (Outstanding Loan Amt. as on 29/02/2020) एवं वार्षिक टर्नओवर (Annual Turnover) की सीमा में बृद्वि की गयी है, जिसके अनुसार इकाईयों की अदत्त ऋण राशि को रु. 25 करोड़ से बढ़ाकर रु. 50 करोड़ तथा वार्षिक टर्नओवर की सीमा को रु. 100 करोड़ से बढ़ाकर रु. 250 करोड़ कर दिया गया है।
- **वर्तमान में ईमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना में रु. 250 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाली इकाइयों को भी इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र कर दिये गये हैं।**

Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) के अंतर्गत राज्य की योग्य इकाईयों से संबंधित प्रगति निम्नवत है :

Progress as on 30/11/2020, Phase – I, O/S (FB+NFB) upto Rs. 25 Crores

Annex. - 19

(` In Crores)

Eligible loan A/Cs		No. of A/Cs whom information sent	**No. of Accounts**		**Amount**		Coverage %
No. of A/Cs	Amt.		Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	
95916	2466.45	92479	64057	39817	1660.82	1407.86	66.78

Progress as on 30/11/2020, Phase – II, O/S (FB+NFB) Above Rs. 25 to 50 Crores

Annex. - 20

(` In Crores)

Eligible loan A/Cs		No. of A/Cs whom information sent	**No. of Accounts**		**Amount**		Coverage %
No. of A/Cs	Amt.		Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	
995	103.89	995	66	60	53.95	41.76	6.63

GECL – 2

योजना की विशेषतायें :

- रु0 50 करोड़ से रु0 500 करोड़ तक की बकाया राशि वाली इकाइयाँ भी इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित होंगी।

- **टर्न ओवर का ऋण स्वीकृति में कोई बाध्यता नहीं है।**
- दिनांक 29 फरवरी, 2020 को खाते SMA - O होने चाहिए।
- भुगतान की अवधि 5 साल है (12 माह की मोरेटोरियम अवधि + 48 माह की भुगतान अवधि)।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना की अवधि **31 मार्च, 2021** तक बढ़ा दी गयी है। योजना (GECL-1 + GECL-2) में रुपये तीन लाख करोड़ स्वीकृत **या 31 मार्च, 2021 तक** दोनों में से जो भी पहले हो, तक ही लागू रहेगी।

(ख) Distressed Assets Fund – Subordinate Debt for Stressed MSMEs Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD) :

योजना की विशेषतायें :

- **एम.एस.एम.ई. खाते, जो** SMA – 2, NPA (as on 30.04.20) हैं और जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार Re-structuring के लिए योग्य हैं, उन पर यह योजना लागू होगी।
- योजना अन्तर्गत एम. एस. एम. ई. प्रमोटर्स को उनके अंश का 15 प्रतिशत अथवा रु. 75 लाख, जो भी विगत Audited Balance Sheet के अनुसार कम हो, की ऋण सुविधा प्रदान की जायेगी।
- Sub-debt का 90 प्रतिशत गारंटी कवर CGTMSE प्रदान करेगा और प्रमोटर Sub-debt राशि का 10 प्रतिशत Collateral Security के रुप में देगा।
- अदत्त राशि का 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष CGTMSE को गारंटी फीस के रुप में देना होगा।
- अवधि – अधिकतम 10 वर्ष (7 वर्ष मोरेटोरियम अवधि, जिसमें ब्याज का भुगतान होना है तथा 3 वर्ष में मूलधन का भुगतान)

Credit Guarantee Scheme for Subordinated Debt CGSSD) अंतर्गत राज्य की योग्य इकाईयों से संबंधित प्रगति निम्नवत है :

Annex. – 21

Progress as on 30/11/2020 (Rs. In lacs)

No. of MSME Borrowers which are Stressed (i.e. SMA-2 and NPA) as on 30.04.2020	**No. of Eligible Borrowers under CGSSD**	**Sanctioned under CGSSD**	
		No.	Amt.
5509	321	20	50.97

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित Empowered Committee Meeting on MSME की बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 में योजना की कम प्रगति को देखते हुये असंतोष व्यक्त किया गया।
- उक्त योजना अन्तर्गत कम प्रगति को देखते हुये, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा बैंकों से योग्य खाताधारकों का विवरण मांगा गया है जिससे अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके, जिसका विवरण बैंको से प्राप्त होना अपेक्षित है।

एजेण्डा संख्या – 10 :

(क) वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि :

Annex. - 22

(` करोड़ में)

मद	2019–20 दिनांक 01.04.2019 से 30.09.2019			2020–21 दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020		
	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिषत	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिषत
फसली ऋण	6806.40	2373.34	35	7951.63	2073.44	26
सावधि ऋण	3578.65	1591.93	44	5270.68	1103.58	21
फार्म सेक्टर (कुल योग)	**10385.05**	**3965.28**	**38**	**13222.32**	**3177.02**	**24**
नॉन फार्म सेक्टर (MSME)	8031.49	5387.06	67	8850.51	5920.48	67
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3594.74	971.81	27	3721.07	415.65	11
कुल योग	**22011.28**	**10324.15**	**47**	**25793.90**	**9513.15**	**37**

वार्षिक ऋण योजना 2020–21 हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य रु. 25793.90 करोड़ के सापेक्ष सितम्बर, 2020 त्रैमास तक बैंकों द्वारा रु. 9513.81 करोड़ की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि वार्षिक लक्ष्य का 37 प्रतिशत है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा बैंक नियंत्रकों को अवगत कराया गया है कि कृषि क्षेत्र में बजट पूरा करने के लिए नाबार्ड द्वारा प्रायोजित योजनाओं में सहभागिता बढ़ायी जानी अपेक्षित है।

(ख) एम.एस.एम.ई. :

सभी बैंकों द्वारा एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर एम.एस.एम.ई. के वार्षिक लक्ष्य ` **8850.51 करोड़** के सापेक्ष ` **5920.48 करोड़** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि लक्ष्य का **67%** है।

30 सितम्बर, 2020 तक योजनांतर्गत इकाईयों को वितरित ऋणों की सेक्टरवार बकाया राशि निम्नवत है :

Annex. - 23

(कुल प्रदत्त राशि ` करोड़ में)

सूक्ष्म इकाई		लघु इकाई		मध्यम इकाई		कुल ऋण राषि		योग
विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	एम.एस.एम.ई.
1599.99	4078.36	2399.99	6117.55	862.80	942.94	4862.78	11138.85	16001.63

एजेण्डा संख्या – 11 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

****